पदेन सहायक कलेक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

पुष्पेन्द्र राजपूत वगैरह ... इन्द्रसिंह राजपूत

8/5/26 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित, प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण प्रकरण में रिकॉर्डेड खातेदार है। एवं वक्त निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रकरण में तरमीम शुद्धी हेतु रिपोर्ट मंगवाई गई उनमें भी प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1608/235, 235/5, 235/3, 234/4, 1606/235, 1607/235 किता 06 रकबा 0.5563 हैक्टर प्रार्थीगण के रिकॉर्डेड खातेदार की होना अंकित किया गया फिर भी प्रकरण के प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार होते हुए भी बिना सुने उक्त निर्णय पारित किया गया जो निरस्त किये जाने के काबिल है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है जिससे प्रकरण संख्या 310/2024 निर्णय दिनांक 5/08/2025 में पारित निर्णय को प्र० सं. 84/2026 दिनांकित 04/03/2026 के स्थगन को प्रा० पत्र ०-९ नि.13 के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को (स्थाई) कन्फर्म किया जावे। दौराने बहस विपक्षी सं. 01 व 02 ने कथन किया कि प्र० सं. 310/2024

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर ...

तारीख हुक्म | न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्र० सं० 8/41/2026 धारा M

फूलकंवर बनाम ... [illegible]

निर्णय दिनांक 5/8/2025 से पारित निर्णय विधि सम्मत है प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार न्यायालय निर्णय पारित किया गया है एवं तरमीम शुद्धि तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार की गई है फिर भी प्रार्थिगण असन्तुष्ट है तो अपील न्यायालय में अपील (प्रार्थीगण) हेतु स्वतंत्र है। इस कारण प्रार्थीगण प्रा०पत्र मे लिये गये एक पक्षीय आस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04/3/2026 को इसी स्तर पर खारीज किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रकरण में कानून 136 के प्रा०पत्र रिपोर्ट पटवारी के सम्पादित शुदा आवासीय भूमि का का कही भी अंकन नही होने से प्रा०पत्र धारा 136 के निर्णय पारित किया गया था, परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के आधार पर प्रकरण में पूर्व में पारित एक पक्षीय आस्थाई निषेधाज्ञा प्रा०पत्र बाबत स्थगन आदेश को आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि सरहद रेह पटवार हल्का रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 235/3, 1606/235, 235/4, की राजस्व रिकॉर्ड व मौके की

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

उ० ख० 8/4/2018 क्र०प्र
[illegible] [illegible] पक्ष हेतु किए [illegible]

यथास्थिति बनाये रखके शेष आवंटित
1607/235, 1608/235, एवं 235 के संबंध
मे पूर्व मे पारित एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा
को स्थगित किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर उर्जी नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर क०